

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।  
पत्रांक 2637 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: फरवरी: 04-2016

सेवामें,

डिवीजनल मैनेजर,  
एस्सार ऑयल लि०,  
ए-5, सेक्टर-3,  
नोएडा-201301 (उ०प्र०)।

**विषय:-** अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग (एस०एच०-22ए) किमी० 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम-अराना के खसरा संख्या-203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की अनुमति।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक 8बी/यूपी/06/48/2015/एफ०सी०/1365 दिनांक 02.02.2016

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पलवल-टप्पल-अलीगढ़ राजमार्ग (एस०एच०-22ए) किमी० 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम-अराना के खसरा संख्या-203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद अलीगढ़ में 0.072 है० संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के क्रम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

**भार्त सं०-1:** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु-3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कर पावती की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

**Name of the Bank-** "Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c no. SB.-25230 Corporation Bank, Block-11 Ground Floor, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi."

**Mode of Account-** Saving

**Account-** 037100101025230

**IFSC code-** CORP 0000371

**भार्त सं०-3:** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०बी०) की निर्धारित धनराशि 7,30,000/- की दर से 0.072

X 7,30,000 = 52,560 (रु०- बावन हजार पांच सौ साठ मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कर पावती की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- एस0बी0 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करायी जाए। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की धनराशि का आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आसपास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण गया हो) इस कार्यालय में प्रेषित की जाये।

**भार्त सं0-4:** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्ध होगा। इस हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

**भार्त सं0-5:** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (269.76 वर्ग मी0) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि जमा कर पावती रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(डी0पी0गुप्ता)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2637 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0गुप्ता)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

Abh

o/c